मनोहर बलवानी
कम्पनी सचिव
MANOHAR BALWANI
Company Secretary

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
POWER FINANCE CORPORATION LTD.
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)

सं.:1:05:138:II:सीएस
दिनांक: 27.08.2019

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) MUMBAI- 400051 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400051	**Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, Floor-25, PJ Towers, Dalal Street, MUMBAI- 400001 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, फिरोज जीजीभॉय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001**

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 33वीं एजीएम की कार्यवाही

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, आज अर्थात दिनांक 27 अगस्त, 2019 को आयोजित कंपनी की 33वीं एजीएम की कार्यवाही इस पत्र के साथ संलग्न है।

सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

<u>पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड</u>

<u>नई दिल्ली</u>

दिनांक 27 अगस्त 2019, मंगलवार को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली- 110004 में प्रातः 11.00 बजे से 11.55 के दौरान आयोजित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 33वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही।

I. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों और लेखापरीक्षकों का स्वागत किया और शेयरधारकों का सीएमडी एवं निदेशकों से परिचय करवाया।

II. अध्यक्ष ने शेयरधारकों एवं निदेशकों को संबोधित किया।

III. कंपनी सचिव ने अध्यक्ष को गणपूर्ति (कोरम) की उपस्थिति की पुष्टि की, जिन्होंने बैठक को शुरू करने की घोषणा की।

IV. कंपनी सचिव ने सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सीए एंड जी रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उन पर निदेशक मंडल द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए स्पष्टीकरण/टिप्पणियों को पढ़ा।

V. कंपनी सचिव ने शेयरधारकों को सूचित किया कि सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम सहित कंपनी अधिनियम 2013 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी ने कट ऑफ तारीख अर्थात 21 अगस्त, 2019 को दिनांक 24 अगस्त, 2019 से 26 अगस्त, 2019 तक तीन दिन की अवधि के लिए सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की ताकि वे दिनांक 30 जुलाई, 2019 की ईजीएम सूचना में उल्लिखित मद पर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग करने में सक्षम हो सकें। श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग एवं इंस्टा पॉल के उद्देश्य से संवीक्षक नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त शेयरधारकों को सूचित किया गया कि एजीएम की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा था।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है उन्हें बैठक में पुनः वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है।

VI. अध्यक्ष ने को इस एजीएम के दिनांक 30 जुलाई, 2019 नोटिस में निर्धारित व्यवसाय पर प्रस्तावित प्रस्तावों के उद्देश्य और निहितार्थ के बारे में बताया।

VII. इसके बाद, जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था, उनसे अनुरोध किया गया था कि वे संकल्प पढ़ने के बाद ईजीएम अर्थात इंस्टा पोल में प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम सुविधा के माध्यम से अपना वोट डालें।

VIII. सूचित किया गया कि रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ इंस्टा पोल का परिणाम, स्क्रूटनाइजर श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा वोटिंग की स्क्रूटनाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, अध्यक्ष द्वारा इसका अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

IX. बैठक में बिजनेस की निम्नलिखित मदों से संबंधित संकल्पों पर विचार किया गया।

<u>साधारण व्यवसाय</u>

1. अंकेक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण, उस पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2. श्री नवीन भूषण गुप्ता (DIN: 00530741) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने के लिए, जो रोटेशन के द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पात्र होने के बाद, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

<u>विशेष व्यवसाय</u>

4. श्री रविंदर सिंह ढिल्लों (DIN: 00278074) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए।

5. श्री आर सी मिश्रा (DIN: 02469982) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए।

6. भारत में और/या भारत के बाहर प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर बॉण्डों के निर्गमन /डिबेंचरों/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए तक निधियां जुटाना।

X अध्यक्ष ने कंपनी के संकल्पों और सामान्य काम-काज पर टिप्पणियां मांगी और उनका जवाब दिया।

XI कंपनी सचिव द्वारा अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

XII तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक के समापन की घोषणा की गई।

एतदद्वारा पुष्टि की जाती है कि यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों और आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवालयी मानदंडों के अनुसार आमंत्रित, बुलाई, आयोजित तथा आयोजित की गई।

****